न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, जैतारण (जिला-ब्यावर) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री श्याम सुन्दर बिश्नोई, आर0ए0एस0
राजस्व वाद संख्या : 103/2019
GCMS NO. : 2019/00094

-:: वादी :- बनाम -:: प्रतिवादीगण :-

वादी:

1. जसाराम पुत्र शिवराम जाति कुमावत निवासी बेरा डाबीया वाला बलून्दा, तहसील- जैतारण जिला- पाली राज0।

प्रतिवादीगण:

1. धन्ना पुत्र भबूत
2. भंवरू पुत्र नाथा
3. ओमप्रकाश पुत्र मोहन
4. देवा पुत्र हजारी
5. निहालचंद पुत्र धूकल
6. नवीनकुमार पुत्र धूकल
7. गलकाई पुत्री धूकल
8. भालीदेवी पुत्री धूकल
9. जीयादेवी पुत्री धूकल
10. गोगली पुत्री धूकल
11. बगदूदेवी पत्नी नवीनकुमार जातियान कुमावत निवासीगण बेरा डाबीया वाला बलून्दा,तहसील जैतारण, जिला ब्यावर।
12. तहसीलदार जैतारण जिला ब्यावर (राज0)।

राजस्व वाद बाबत् तकास्मा आराजी एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
तारीख रजू:.29.05.2019

उपस्थितः-

1. श्री किशोर कुमावत, अधिवक्ता, वादी।
2. श्री रामस्वरूप चौधरी, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

-:: निर्णय ::- **दिनॉकः- 29/08/2023**

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा ग्राम बलून्दा पटवार हल्का बलून्दा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आ0कालू तहसील जैतारण जिला पाली राज0 में वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त सामलाती अविभाजित सामलाती खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा संख्या 1562 रकबा 52-10 बीघा, खसरा संख्या 1579 रकबा 02-16 बीघा, खसरा संख्या 1582 रकबा 01-03 बीघा, खसरा संख्या 1592 रकबा 14-00 बीघा, खसरा संख्या 1596 रकबा [illegible] बीघा, खसरा संख्या 1597 रकबा 06-00 बीघा, खसरा संख्या 1598 रकबा 05-07 बीघा, खसरा संख्या 1599 रकबा 07-13 बीघा कुल खसरा 8 कुल रकबा 93-08 बीघा आयी हुई है। जिसमें वादी का 1/3 वां हिस्सा आता है तथा [illegible] हिस्सेनुसार वादी मौके पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। इसी प्रकार खसरा संख्या 1578 रकबा 06-15

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.12.11 12:34:31 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर जैतारण

बीघा भूमि आई हुई है जिसमें वादी का 1/6 वां हिस्सा आता है तथा इसी हिस्सेनुसार वादी मौके पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। जिसकी जमाबंदी संवत 2073-2076 व नक्शा ट्रेस की प्रमाणित प्रति साथ संलग्न है। उपरोक्त कृषि भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त शामलाती कृषि भूमि है जिसका बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के कानूनी बंटवाड़ा नहीं हो रखा है तथा उपरोक्त कृषि भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार मौके पर काबिज होकर शांतिपूर्वक तरीके से काश्त व काश्त मुतालिक तमाम कार्य करते आ रहे है। परन्तु उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड में शामलाती दर्ज होने से आये दिन प्रतिवादीगण वादी के साथ सीमा को लेकर विवाद करते रहते है एवं वादी की खन्दक/मेडबन्दी को तोड़फोड़कर देते है एवं वादी की बोई हुई फसल को नुकसान कारित करते है तथा वादी को हर समय उसके हक-हिस्से से बेदखल करने पर आमादा रहते है। उक्त कृषि भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की अविभाजित कृषि भूमि होने से वादी अपने हक-हिस्से व बंट की भूमि में आधुनिक तरीके से कृषि करने हेतू बैंक से ऋण नहीं ले सकता तथा अपनी कृषि भूमि को अकृषि प्रयोजनार्थ रूपान्तरण नहीं करवा सकता एवं अनेको प्रकार की राज्य एवं भारत सरकार की योजनाओं का लाभ प्राप्त करने से वंचित होना पड़ रहा है। इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त संयुक्त शामलाती अविभाजित कृषि भूमि जो मौके पर अपने हक-हिस्से बंट अनुसार बंटी हुई है का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के कानूनी बंटवाड़ा करवाने हेतू दिनांक 24.04.2019 को कहा तो प्रतिवादीगण स्पष्ट रुप इंकार हुए एवं प्रतिवादीगण जो कि संख्या व शक्ति एवं धनबल वाले है जिन्होने ऐलानिया कथन किया कि उक्त भूमि का बिना कानूनी बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवाड़ा करवाये ही उक्त भूमि का किसी अन्य अजनबी क्रेता को बेचान, हस्तान्तरण, रहन, वसीयत आदि कर देंगे एवं वादी को उसके कब्जे काश्त से बेदखल कर देंगे। यदि प्रतिवादीगण अपने इन नापाक इरादो में कामयाब हो जाते है तो वादी को अपूरणीय क्षति होगी एवं वादी अपने जायज हक हकूकों एवं अधिकारो तथा खातेदारी कब्जे काश्त की कृषि भूमि से वंचित हो जायेगा तथा अनेकों प्रकार की मुकदमेबाजी होगी जिससे विविध प्रकार की पेचीदगिया बढ़ेगी। इसलिए वादी के पास अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से यह वापत्र बाबत् बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा का श्रीमान् के समक्ष सादर पेश है। प्रतिवादी संख्या 12 तहसीलदार एवं उपपंजीयन अधिकारी, जैतारण भूमिधारी राजस्थान सरकार है, जो बंटवाडे के वाद में आवश्यक एवं प्रोपर पक्षकार होने से बतौर प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया है। बिनाय दावा दिनांक 24.04.2019 को वादी ने प्रतिवादीगण को बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवाड़ा करने का कहने पर प्रतिवादी द्वारा मना करने पर एवं बिना बंटवाड़ा करवाये शामलाती भूमि का किसी अन्य को बेचान, हस्तान्तरण करने एवं वादी को उसके हक-हिस्से व कब्जे से बेदखल करने की ऐलानिया धमकी देने पर बमुकाम बलून्दा, तहसील जैतारण में उत्पन्न हुआ जो श्रीमान् के श्रवणाधिकार एवं क्षैत्राधिकार में होने से उक्त वादपत्र अन्दर म्याद श्रीमान के समक्ष सादर पेश है।

वादी का दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से वकालतनामा पेश हुआ, जिसे शा. मि. किया गया। प्रतिवादी संख्या 03 तथा 07 से 11 को तीन-बार आवाजे दिलाई गई ,बावजूद सम्मन सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.12.11 12:34:31 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर जैतारण

प्रतिवादी संख्या 02, 04 से 06 के अधिवक्ता द्वारा भी इन्द्राज प्लीड करने से इनको बार-बार आवाजे लगाई गई, बावजूद सम्मन सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है। प्रतिवादी संख्या 01 जवाब दावा पेश नही करना चाहते है। अधिवक्ता वादी ने साक्ष्य शपथ-पत्र पेश किए, दस्तावेज प्रदर्श करवाए गए, शा. मि. किए गए। अधिवक्ता प्रतिवादी जिरह नहीं करना चाहते है। अधिवक्ता प्रतिवादी शहादत प्रतिवादी पेश नही करना चाहते है। अतः शहादत वादी एवं प्रतिवादी बंद की जाती है। बहस उभयपक्ष अधिवक्ता सुनी गई।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद-पत्र, शपथ-पत्र एवं दस्तावेजात इत्यादि का गहनता से अध्ययन किया गया। जमाबंदी सरहद मौजा बलून्दा, पटवार हल्का बलून्दा, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र आ0कालू, तहसील जैतारण में खसरा संख्या 1562 रकबा 8.4984 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम, खसरा संख्या 1579 रकबा 0.4532 हैक्टेयर किस्म गै.मु.ढाणी, खसरा संख्या 1582 रकबा 0.1862 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम, खसरा संख्या 1592 रकबा 2.2662 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम, खसरा संख्या 1596 रकबा 1.5621 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम, खसरा संख्या 1597 रकबा 0.0486 हैक्टेयर किस्म गै.मु.बेरा, खसरा संख्या 1598 रकबा 0.8660 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम, खसरा संख्या 1599 रकबा 1.2383 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम, खसरा संख्या 1578 रकबा 1.0926 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम का अवलोकन किया गया। वादग्रस्त आराजी में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 11 बरूबे राजस्व रेकर्ड स्वयं अपने हिस्से के खातेदार काश्तकार दर्ज है, जिसमें माफिक राजस्व रेकर्ड अनुसार प्राथमिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की गई कि सरहद मौजा बलून्दा, पटवार हल्का बलून्दा, तहसील जैतारण में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 11 की शामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा संख्या 1562 रकबा 8.4984 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम, खसरा संख्या 1579 रकबा 0.4532 हैक्टेयर किस्म गै.मु.ढाणी, खसरा संख्या 1582 रकबा 0.1862 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम, खसरा संख्या 1592 रकबा 2.2662 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम, खसरा संख्या 1596 रकबा 1.5621 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम, खसरा संख्या 1597 रकबा 0.0486 हैक्टेयर किस्म गै.मु.बेरा, खसरा संख्या 1598 रकबा 0.8660 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम, खसरा संख्या 1599 रकबा 1.2383 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम, खसरा संख्या 1578 रकबा 1.0926 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम की आई हुई है। जिसका उभयपक्ष के हक-हिस्सों का माफिक राजस्व रिकार्ड भूमि का बंटवाड़ा मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस करवाया जाकर खाता व लगान अलग-अलग दर्शाकर बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा बनाया जाकर प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार, जैतारण को अधिकृत किया जाकर पत्रांक/कोर्ट/2022/392 दिनांक 09.05.2022 द्वारा आदेशित किया गया। तहसीलदार, जैतारण ने अपने क्रमांक/भू0अ0/22/6616 दिनांक 20.10.2022 द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय न[illegible]ा सहित प्रस्तुत की, शा0मि0 की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.12.11 12:34:31 IST
Reason: SelfAttested

अंतिम बहस वकील उभयपक्ष [illegible] के दौरान वकील वादी एवं प्रतिवादी ने वादग्रस्त आराजी की माफिक प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा बंटवाडा करने हेतु सहमति जाहिर की। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बहस वकील उभयपक्ष एवं पालना रिपोर्ट पर

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर जैतारण

गौर कर मनन किया गया। भू-अभिलेख के अनुसार खसरा संख्या 1562 रकबा 8.4984 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम, खसरा संख्या 1579 रकबा 0.4532 हैक्टेयर किस्म गै.मु.ढाणी, खसरा संख्या 1582 रकबा 0.1862 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम, खसरा संख्या 1592 रकबा 2.2662 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम, खसरा संख्या 1596 रकबा 1.5621 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम, खसरा संख्या 1597 रकबा 0.0486 हैक्टेयर किस्म गै.मु.बेरा, खसरा संख्या 1598 रकबा 0.8660 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम, खसरा संख्या 1599 रकबा 1.2383 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम, खसरा संख्या 1578 रकबा 1.0926 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम का माफिक विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादी का वाद डिक्री किया जाकर बंट्वाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

-:: आदेश::-

अतः माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा बलून्दा, पटवार हल्का बलून्दा, तहसील जैतारण में स्थित खसरा संख्या 1562 रकबा 8.4984 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम, खसरा संख्या 1579 रकबा 0.4532 हैक्टेयर किस्म गै.मु.ढाणी, खसरा संख्या 1582 रकबा 0.1862 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम, खसरा संख्या 1592 रकबा 2.2662 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम, खसरा संख्या 1596 रकबा 1.5621 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम, खसरा संख्या 1597 रकबा 0.0486 हैक्टेयर किस्म गै.मु.बेरा, खसरा संख्या 1598 रकबा 0.8660 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम, खसरा संख्या 1599 रकबा 1.2383 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम, खसरा संख्या 1578 रकबा 1.0926 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :-

क्र. सं.	नाम खातेदारान **मय वल्दियत व** सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टयर)	किस्म	लगाान
1	जसाराम पुत्र शिवराम कौम कुम्हार सा. देह खातेदार	1592/1	0.4934	चा. दोयम	10.65
		1592/3	0.2730	चा. दोयम	5.90
		1592/6	0.1600	चा. दोयम	3.46
		1596/2	0.6666	चा. दोयम	14.41
		1598/1	0.1300	चा. दोयम	2.81
		1599/3	0.1837	चा. दोयम	3.97
		1599/1	0.3560	चा. दोयम	7.70
		4582	0.0515	चा. दोयम	1.11
		1562/2	2.4455	चा. दोयम	52.88
		1562/5	0.0180	चा. दोयम	0.39
	योग	**10**	**4.7777**		**103.28**
2	धनाराम पुत्र भबूतराम कौम कुम्हार सा. देह खातेदार	1592/7	0.1400	चा. दोयम	3.03
		1592/4	0.2565	चा. दोयम	5.55
		1596/1	0.4647	चा. दोयम	10.05
		[illegible]	[illegible]	चा. दोयम	8.82
		[illegible]	[illegible]	चा. दोयम	12.30
		1582/1	[illegible]	चा. दोयम	2.20
		[illegible]	[illegible]	चा. दोयम	61.37
	योग	7	4.7777		1.17
3.	देवाराम पुत्र हजारीराम हिस्सा 1/3,	1592/2	0.6233	चा. दोयम	13.48

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.12.11 12:34:31 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर जैतारण

	ओमप्रकाश पुत्र मोहन हिस्सा 1/6, भंवरूराम पुत्र नाथाराम हिस्सा 1/6, नवीनकुमार, निहालचन्द पि0 धूकलराम, जीयादेवी, गोगलीदेवी, गलकाई, भालीदेवी पुत्रीयां धूकलराम, पतासी देवी पत्नी धूकलराम हिस्सा 1/3 कौम कुम्हार सा. देह खातेदार	1592/5	0.1600	चा. दोयम	3.46
		1596	0.4308	चा. दोयम	9.32
		1598	0.3000	चा. दोयम	6.49
		1599	0.0980	चा. दोयम	2.12
		1562/4	0.2799	चा. दोयम	6.05
		1562	2.8856	चा. दोयम	62.39
	योग	7	4.7776		103.31
4.	जसाराम पुत्र शिवराम हिस्सा 1/3, धनाराम पुत्र भबूतराम हिस्सा 1/3, देवाराम पुत्र हजारीराम हि. 1/9 नवीनकुमार, निहालचन्द पि0 धूकलराम, जीयादेवी, गोगलीदेवी, गलकाई, भालीदेवी पुत्रीयां धूकलराम, पतासी देवी पत्नी धूकलराम हिस्सा 1/9, ओमप्रकाश पुत्र मोहन हिस्सा 1/18, भंवरूराम पुत्र नाथाराम हिस्सा 1/18, कौम कुम्हार सा. देह खातेदार	1592	0.1600	गै.मु. रास्ता	
		1598/2	0.0280	गै.मु. रास्ता	
		1599/2	0.0320	गै.मु. रास्ता	
		1582/2	0.0330	गै.मु. रास्ता	
		1562/3	0.0312	गै.मु. रास्ता	
		1579	0.4532	गै.मु. ढाणी	
		1597	0.0486	गै.मु. बेरा	
	योग	7	0.7860		

नोट :- खसरा नम्बर 1578 रकबा 1.0926 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम में विद्यालय भवन व मकान, बाड़े बने होने से संयुक्त स्थित में रखा गया है।

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। तहसीलदार जैतारण को पालना हेतु डिक्री की प्रति भेजी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर जैतारण
जिला–ब्यावर (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 29/08/2023 को सर–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर जैतारण
जिला–ब्यावर (राज0)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.12.11 12:34:31 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(ओ 20 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, मुकामः- जैतारण

बईजलास :- **श्री श्याम सुन्दर बिश्नोई, आर०ए०एस०**

-:: वादी :- **बनाम** **-:: प्रतिवादीगण :-**

1. जसाराम पुत्र शिवराम जाति कुमावत निवासी बेरा डाबीया वाला बलून्दा, तहसील- जैतारण जिला- पाली राज०।

बनाम

1. धन्ना पुत्र भबूत
2. भंवरू पुत्र नाथा
3. ओमप्रकाश पुत्र मोहन
4. देवा पुत्र हजारी
5. निहालचंद पुत्र धूकलजी
6. नवीनकुमार पुत्र धूकलजी
7. गलकाई पुत्री धूकलजी
8. भालीदेवी पुत्री धूकलजी
9. जीयादेवी पुत्री धूकलजी
10. गोगली पुत्री धूकलजी
11. बगदूदेवी पत्नी नवीनकुमार जातियान कुमावत निवासीगण बेरा डाबीया वाला बलून्दा, तहसील जैतारण, जिला पाली।
12. तहसीलदार जैतारण जिला पाली (राज०)

मु०न० :रा०वा०स०: 103/2019

राजस्व वाद बाबत् बंट्वाडा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रूबरू .... व हाजरी श्री किशोर कुमावत, अधिवक्ता वादी मिनजानिब मुद्दई व श्री रामस्वरूप चौधरी, श्री मोहनलाल कुमावत, अधिवक्ता प्रतिवादीगण, मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा सरहद मौजा बलून्दा, पटवार हल्का बलुन्दा, भू.अ.नि. आ०कालू तहसील जैतारण में वादी एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की खसरा संख्या 1562, 1579, 1582, 1592, 1596, 1597, 1598, 1599, 1578 की भूमि आई हुई है, जिसमें वादी एवं प्रतिवादीगण के हक हिस्से की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं:-

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा (हैक्टयर)	किस्म	लगाान
1	जसाराम पुत्र शिवराम कौम कुम्हार सा. देह खातेदार	15[illegible]	[illegible].4934	चा. दोयम	10.65
		1592/[illegible]	[illegible].2730	चा. दोयम	5.90
		[illegible]	[illegible]	चा. दोयम	3.46
		1596[illegible]	0.6666	चा. दोयम	14.41
		1598/1	0.1300	चा. दोयम	2.81

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.12.11 12:34:31 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर जैतारण

		1599/3	0.1837	चा. दोयम	3.97
		1599/1	0.3560	चा. दोयम	7.70
		4582	0.0515	चा. दोयम	1.11
		1562/2	2.4455	चा. दोयम	52.88
		1562/5	0.0180	चा. दोयम	0.39
	योग	10	4.7777		103.28
2	धनाराम पुत्र भबूतराम कौम कुम्हार सा. देह खातेदार	1592/7	0.1400	चा. दोयम	3.03
		1592/4	0.2565	चा. दोयम	5.55
		1596/1	0.4647	चा. दोयम	10.05
		1598/3	0.4080	चा. दोयम	8.82
		1599/4	0.5686	चा. दोयम	12.30
		1582/1	0.1017	चा. दोयम	2.20
		1562/1	2.8382	चा. दोयम	61.37
	योग	7	4.7777		1.17
3.	देवाराम पुत्र हजारीराम हिस्सा 1/3, ओमप्रकाश पुत्र मोहन हिस्सा 1/6, भंवरूराम पुत्र नाथाराम हिस्सा 1/6, नवीनकुमार, निहालचन्द पि0 धूकलराम, जीयादेवी, गोगलीदेवी, गलकाई, भालीदेवी पुत्रीयां धूकलराम, पतासी देवी पत्नी धूकलराम हिस्सा 1/3 कौम कुम्हार सा. देह खातेदार	1592/2	0.6233	चा. दोयम	13.48
		1592/5	0.1600	चा. दोयम	3.46
		1596	0.4308	चा. दोयम	9.32
		1598	0.3000	चा. दोयम	6.49
		1599	0.0980	चा. दोयम	2.12
		1562/4	0.2799	चा. दोयम	6.05
		1562	2.8856	चा. दोयम	62.39
	योग	7	4.7776		103.31
4.	जसाराम पुत्र शिवराम हिस्सा 1/3, धनाराम पुत्र भबूतराम हिस्सा 1/3, देवाराम पुत्र हजारीराम हि. 1/9 नवीनकुमार, निहालचन्द पि0 धूकलराम, जीयादेवी, गोगलीदेवी, गलकाई, भालीदेवी पुत्रीयां धूकलराम, पतासी देवी पत्नी धूकलराम हिस्सा 1/9, ओमप्रकाश पुत्र मोहन हिस्सा 1/18, भंवरूराम पुत्र नाथाराम हिस्सा 1/18, कौम कुम्हार सा. देह खातेदार	1592	0.1600	गै.मु. रास्ता	
		1598/2	0.0280	गै.मु. रास्ता	
		1599/2	0.0320	गै.मु. रास्ता	
		1582/2	0.0330	गै.मु. रास्ता	
		1562/3	0.0312	गै.मु. रास्ता	
		1579	0.4532	गै.मु. ढाणी	
		1597	0.0486	गै.मु. बेरा	
	योग	7	0.7860		

नोट :– खसरा नम्बर 1578 रकबा 1.0926 हैक्टेयर किस्म चाही दोयम में विद्यालय भवन व मकान, बाड़े बने होने से संयुक्त स्थित में रखा गया है।

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा [illegible] माना जावें। वादी के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को [illegible]ाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर[illegible] कम हो। [illegible] तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर अभिलेख भण्डार जमा हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.12.11 12:34:31 IST
Reason: SelfAttested

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर जैतारण

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....–......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें ।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 29/08/2023 को जारी किया गया ।

मोहर

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर जैतारण
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर जैतारण
जिला–ब्यावर (राज0)

मुद्दई	रूपये पैसे	मुद्दायलाह	रूपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2.00	स्टाम्प वकालतनामा	3.00
स्टाम्प वकालतनामा	1.00	स्टाम्प अर्जी	0.00
स्टाम्प वजह सबूत	0.00	महनताना वकील	0.00
महनताना वकील	0.00	खर्चा गवाहान	0.00
खर्चा गवाहान	11.00	फीस कमीश्नर	0.00
फीस कमीश्नर	0.00	बाबत ईजराय हुक्मनामा	0.00
बाबत ईजराय हुक्मनामा	0.00	मुत्फरिक	0.00
मिजानः–	14.00	मिजानः–	3.00

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyam Sundar Bishnoi
Date: 2023.12.11 12:34:31 IST
Reason: SelfAttested